



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 02.09.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल एक बैटरा, एक इन्वर्टर व 5000/- रुपये नकद बरामद ।

दिनांक 31.08.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा वादी के घर से एक बैटरा, एक इन्वर्टर व 5000/- रुपये केस चोरी करके भाग जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ । जिसके सम्बन्ध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र मोमीन निवासी पुनित इन्कलैब खानका वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को अंसल गेट के पास मय चोरी के माल एक बैटरा, एक इन्वर्टर व 5000/- रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त से माल बरामदगी के आधार पर धारा 317 बी.एन.एस. की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त फैजान ने पूछने पर बताया कि दिनांक 30.08.2024 की शाम को मैंने पुनित इन्कलेव पूजा कालोनी खानका वाली गली के एक मकान से एक बैटरा, एक इन्वर्टर व 5000/- रुपये चोरी कर लिये थे तथा वहां से भाग गया था तथा मेरे द्वारा चोरी किये गये बैटरा व इन्वर्टर को छिपा दिया था जिन्हे मैं बेचने के लिये जा रहा था कि आपने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

फैजान पुत्र मोमीन निवासी पुनित इन्कलैब खानका वाली गली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त चोरी के प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण

चोरी का माल एक बैटरा, एक इन्वर्टर व 5000/- रुपये नकद बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 19.08.2024 को वादी ने थाना मोदीनगर पर अभियुक्तों 1.वसीम पुत्र मउनुद्वीन निवासी हरमुखपुरी, मोदीनगर 2.मोन्टी पुत्र नवाब व 3-4 अन्य लोगो द्वारा वादी की नाबालिक बेटी की तरफ अश्लील हरकत करना जिसका वादी के द्वारा विरोध करने पर मारपीट करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा वादी की गाड़ी में ईटो से तोड़फोड़ करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था । जिसके सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की

गिरफ्तारी हेतु टीमों लगाई गईं। तत्पश्चात दिनांक 30.08.2024 को मुकदमा उपरोक्त में नामित / वांछित अभियुक्त वसीम पुत्र मुऊनुद्दीन निवासी हरमुखपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद व दिनांक 01.09.2024 को वांछित अभियुक्त जावेद पुत्र शाहबुद्दीन निवासी सीकरी कलाँ साहबनगर चौकी के पास मोदीनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 02.09.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त मोनिश मलिक उर्फ मोन्टी पुत्र नवाब खान निवासी म.न. – 126 हरमुखपुरी गेट न0 – 02 मोदीनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र काजमपुर गेट से गिरफ्तार किया गया जिसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त मोनिश मलिक उर्फ मोन्टी उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने वसीम पुत्र मुऊनुद्दीन व जावेद पुत्र शाहबुद्दीन के साथ मिलकर आवेश में आकर उक्त घटना कारित कर दी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

मोनिश मलिक उर्फ मोन्टी पुत्र नवाब खान निवासी म.न. – 126 हरमुखपुरी गेट न0 – 02 मोदीनगर थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. – 0576/2024 धारा 191(2)/74/76/115(2)/125/352/351(3)/324(4)BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना मोदीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 01.09.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नगर पालिका पार्किंग के पास से गांजा बेचने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से करीब 04 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं दिल्ली से चोरी-छिपे गांजा खरीद कर लाता हूँ तथा गांजा की पुड़िया बनाकर फुटकर रूप से राह चलते फिरते लोगों को बेच देता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

कदमपुरी ब्रह्मियाह पुत्र कदमपुरी रमेश निवासी-राना चौक वाली गली रामपार्क थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण

04 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामदा

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.08.2024 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि हमारे पडोस में रहने वाला युवक बन्टी वर्मा हमारे घर में घुस आया तथा मेरी नाबालिक पुत्री के साथ गाली-गलौज व जाति सूचकशब्दों का प्रयोग करते हुए गलत काम किया। जिसके संबंध में थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.09.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त बन्टी वर्मा पुत्र सिकन्दर वर्मा निवासी विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को सीकरी रोड बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

बन्टी वर्मा पुत्र सिकन्दर वर्मा निवासी विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त बन्टी वर्मा उपरोक्त ने बताया कि मैं वादिया के पड़ोस में रहता था, मौके देखकर मैंने उक्त घटना कर दी थी।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.08.2024 को थाना लोनी बोर्डर पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्त द्वारा वादिया व वादिया के परिवारवालों के साथ पूर्व में लिखाये गये मुकदमे को लेकर घर में घुसकर धमकी देने, मारपीट करने तथा गाली गलौच करना जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमें में गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा अभियुक्त आकिल पुत्र बाबू खान नि0 हाल शान्ति नगर निकट गोपाल नर्सिंग होम बाबू डेयरी, थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद मूल पता सी 204/17, गली न0 2, नेहरू नगर, चौहान बांगर गढी मेढू थाना जाफराबाद दिल्ली को नसबन्दी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

घटना का विवरण –

वादिया द्वारा पूर्व में लिखाये गये मुकदमे को वापस ना लेने के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा वादिया व वादिया के परिजनों के साथ मारपीट की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आकिल पुत्र बाबू खान नि0 हाल शान्ति नगर निकट गोपाल नर्सिंग होम बाबू डेयरी, थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद मूल पता सी 204/17, गली न0 2, नेहरू नगर, चौहान बांगर गढी मेढू थाना जाफराबाद दिल्ली, उम्र 22 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस व 01 अभियोग धारा-307 भादवि तथा 01 अभियोग धारा-414 भादवि का पंजीकृत हैं ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 01.09.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नहर बंबा पुल से मसूरी जाने वाले रास्ते से गांजा बेचने वाले अभियुक्त सलमान पुत्र चाँद मौहम्मद निवासी असलम कालोनी नियर फातिमा मस्जिद के पास थाना मसूरी, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त सलमान पुत्र चाँद मौहम्मद निवासी असलम कालोनी नियर फातिमा मस्जिद के पास मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद ने पूछने पर बताया कि यह गांजा मै चोरी-छिपे मसूरी व आसपास के गाँवों में पुड़िया बनाकर बेचता हूँ गांजा बेचकर जो पैसे मिलते है उससे मैं अपने शौक पूरे करता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र चाँद मौहम्मद निवासी असलम कालोनी नियर फातिमा मस्जिद के पास मसूरी थाना मसूरी , गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण

01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त सलमान पुत्र चाँद मौहम्मद निवासी असलम कालोनी नियर फातिमा मस्जिद के पास थाना मसूरी गाजियाबाद के विरुद्ध थाना मसूरी पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ई- रिक्शा बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 01.09.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ई- रिक्शा चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त धमेन्द्र सोलंकी पुत्र संजय

सोलंकी निवासी डिफेन्स कालोनी थाना टीला मोड उम्र 33 वर्ष को फर्रुखनगर से टीला मोड की तरफ भारत सिटी से 50 मीटर पहले गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद हुआ । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह ई-रिक्शा कुछ दिनों पहले लोहिया नगर से चोरी किया था । जिसको बेचने की फिराक में घूम रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

धमेन्द्र सोलंकी पुत्र संजय सोलंकी निवासी डिफेन्स कॉलोनी थाना टीला मोड उम्र 33 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी का ई-रिक्सा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीला मोड पुलिस टीम ।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चोरी / स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, चोरी / स्नैचिंग का सामान बेचकर प्राप्त 5500/- रुपये व 02 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 02.09.2024 को थाना खोड़ा पर वादी वीरभान पुत्र गेदन लाल निवासी मन्डावली दिल्ली द्वारा लिखित तहरीर दी कि एन.एच. 24 पर वादी घर जा रहा था तभी बाइक सवार दो व्यक्ति आये ओर मेरी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया और भागने लगे तभी पब्लिक द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लेने तथा दूसरे व्यक्ति के भागने के संबंध में थाना खोड़ा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया । पब्लिक द्वारा पकड़े गये अभियुक्त अंकित पुत्र किशन पाल निवासी 20 फुटा रोडा गली न0 4 सिद्धार्थ विहार थाना रिपब्लिक क्रासिंग गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को थाना खोड़ा पर लाकर पूछताछ की गई तो बताया कि मैं और मेरे 03 अन्य साथी मिलकर चोरी / स्नैचिंग की घटनाओं को अजाम देते हैं । प्रकाश में आये अभियुक्त 1. अजय उर्फ बन्दर पुत्र दिनेश 2. अतुल पुत्र जगवीर 3. आशु पुत्र महेन्द्र को नहर पटरी अण्डर पास खोड़ा कालोनी चौकी क्षेत्र लौधी चौक से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, चोरी / स्नैचिंग का सामान बेचकर प्राप्त 5500/- रुपये व 02 मोटर साइकिल बरामद हुई । अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम पता

1.अंकित पुत्र किशन पाल निवासी 20 फुटा रोडा गली न0 4 सिद्धार्थ विहार थाना रिपब्लिक क्रासिंग गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष (पब्लिक द्वारा थाना खोड़ा पर दाखिल)

2. अंजय उर्फ बन्दर पुत्र दिनेश निवासी मकान नम्बर 23 गली नम्बर 14 बाग कालोनी नियर अम्बेडकर पार्क क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष ।

3. अतुल पुत्र जगवीर निवासी गली नं 01 सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सीलमपुर बुलन्दशहर उम्र करीब 25 वर्ष ।

4. आशु पुत्र महेन्द्र निवासी गली नं 07 छोटेलाल के मकान में किराये पर नियर तिगरी गोल चक्कर सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम ठाकुर थाना साहिल जिला औरैया उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

- कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन, चोरी / स्नैचिंग का सामान बेचकर प्राप्त 5500/- रुपये व 02 मोटर साइकिल बरामद ।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:

- गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ बन्दर पुत्र दिनेश निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा, विजयनगर व थाना रिपब्लिक क्रॉसिंग पर चोरी, आर्मस एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त अतुल पुत्र जगवीर निवास उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा 01 अभियोग व थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर पर 05 अभियोग चोरी व एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त आशु पुत्र महेन्द्र निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर 01 अभियोग व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग चोरी के पंजीकृत है ।
- अभियुक्त अंकित पुत्र किशन पाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 02.09.2024 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गौरव पुत्र धर्म सिंह निवासी पार्क के पास हर्ष विहार द्वितीय थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को तुलसी निकेतन कट मैन वजीराबाद दिल्ली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोटर साइकिल करीब डेढ महिने पहले नन्द नगरी दिल्ली से चोरी की है । जिसे बेचने की फिराक में घूम रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौरव पुत्र धर्म सिंह निवासी पार्क के पास हर्ष विहार द्वितीय थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटर साइकिल ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम ।